"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2006—श्रावण 27, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नसीरूद्दीन आत्मज अब्दुल्लाह, उम्र 29 वर्ष, निवासी मकान नं. एल. सी. 07/जे., केम्प-1, भिलाई, थाना छावनी, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम मोहम्मद नसीरूद्दीन अब्दुल्लाह सैफी आत्मज अब्दुल्लाह रख लिया है तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मोहम्मद नसीरूद्दीन अब्दुल्लाह सैफी आत्मज अब्दुल्लाह के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
नसीरूद्दीन आत्मज-अब्दुल्लाह निवासी-मकान नं. एल. सी. 07/जे., केम्प-1, भिलाई, थाना छावनी तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	मोहम्मद नसीरूद्दीन अब्दुल्लाह सैफी आत्मज-अब्दुल्लाह निवासी-मकान नं. एल. सी. 07/जे., केम्प-1, भिलाई, थाना छावनी तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध
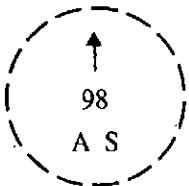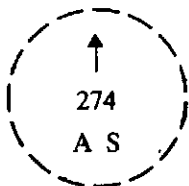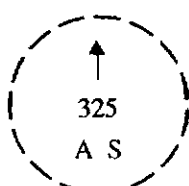
अन्य सूचनाएं

आदेश द्वारा श्री के. के. बिसेन, भा. व. से., वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ. ग.)

अंबिकापुर, दिनांक 22 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/मा. चि./2006/01.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न विवरण अनुसार पासिंग हैमर वन परिक्षेत्राधिकारी अम्बिकापुर को जारी किया गया था, किन्तु उक्त हैमर परिक्षेत्र अधिकारी अम्बिकापुर द्वारा आज दिनांक तक वनमण्डल कार्यालय में जमा नहीं किया गया है.

क्र. (1)	चालान क्र. /दिनांक (2)	कार्य का नाम (3)	पासिंग हैमर की आकृति (4)
1.	51/21-02-1991	इमारती लकड़ी तथा टिम्बर वेस्ट हेतु	↑ 275 A S
2.	14/18-09-1997 (For Production unit-I)	Felling cum passing hammer for C/No. IX Sapanadand Comptt. No. 824 & P-140 Area 215.946 Hac.	↑ 98 A S
3.	15/15-03-1985 (D. R. Ahirwar, F. R. Flying Squaid)	Japti Hammer for seized forest produce by Flying Squaid for Surguja Circle.	↑ 274 A S
4.	60/07-09-1987	Passing Hammer for T. P. (for B. C. Shriwastava Forester)	↑ 325 A S
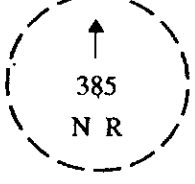
अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा हैमर को वनमण्डल के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है, तथा प्रत्येक हैमर की राशि रु. 50.00 (पचास रुपये मात्र) के मान से कुल राशि रुपये 200/- (दो सौ रुपये मात्र) की वसूली संबंधित से करने का आदेश पारित किया जाता है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त हैमर मिले तो वह कृपया समीपस्थ वन कार्यालय या पुलिस थाना में जमा कराने का कष्ट करें. यदि कोई व्यक्ति उक्त हैमर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखेगा या उपयोग करते पाया जावेगा, तो उस पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा (63) के अनुसार अभियोग चलाया जावेगा एवं दण्ड का भागीदार होगा.

अंबिकापुर, दिनांक 22 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/मा. चि./2006/02.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न विवरण अनुसार पासिंग हैमर वन परिक्षेत्राधिकारी लखनपुर को जारी किया गया था, किन्तु उक्त हैमर परिक्षेत्र अधिकारी लखनपुर द्वारा आज दिनांक तक वनमण्डल कार्यालय में जमा नहीं किया गया है.

क्र. (1)	चालान क्र. /दिनांक (2)	कार्य का नाम (3)	पासिंग हैमर की आकृति (4)
1.	372/20-10-1976	Felling cum passing hammer for C/No. XIII Jamapatkura Part.-II.	↑ 384 N R
2.	372/20-10-1976	Felling cum passing hammer for C/No. XIII Kedma Sayer-II.	↑ 385 N R

अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा हैमर को वनमण्डल के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है, तथा प्रत्येक हैमर की राशि रु. 50.00 (पचास रुपये मात्र) के मान से कुल राशि रुपये 100/- (एक सौ रुपये मात्र) की वसूली संबंधित से करने का आदेश पारित किया जाता है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त हैमर मिले तो वह कृपया समीपस्थ वन कार्यालय या पुलिस थाना में जमा कराने का कष्ट करें. यदि कोई व्यक्ति उक्त हैमर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखेगा या उपयोग करते पाया जावेगा, तो उस पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा (63) के अनुसार अभियोग चलाया जावेगा एवं दण्ड का भागीदार होगा.

अंबिकापुर, दिनांक 22 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/मा. चि./2006/03.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न विवरण अनुसार पासिंग हैमर वन परिक्षेत्राधिकारी उदयपुर को जारी किया गया था, किन्तु उक्त हैमर परिक्षेत्र अधिकारी उदयपुर द्वारा आज दिनांक तक वनमण्डल कार्यालय में जमा नहीं किया गया है.

क्र. (1)	चालान क्र. /दिनांक (2)	कार्य का नाम (3)	पासिंग हैमर की आकृति (4)
1.	369/20-10-1976	Felling cum passing hammer for C/No. V Gewara Part.-I.	↑ 379 N R
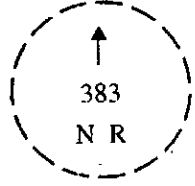
अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा हैमर को वनमण्डल के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है, तथा प्रत्येक हैमर की राशि रु. 50.00 (पचास रुपये मात्र) के मान से वसूली संबंधित से करने का आदेश पारित किया जाता है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त हैमर मिले तो वह कृपया समीपस्थ वन कार्यालय या पुलिस थाना में जमा कराने का कष्ट करें. यदि कोई व्यक्ति उक्त हैमर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखेगा या उपयोग करते पाया जावेगा, तो उस पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा (63) के अनुसार अभियोग चलाया जावेगा एवं दण्ड का भागीदार होगा.

अंबिकापुर, दिनांक 22 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/मा. चि./2006/04.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न विवरण अनुसार पासिंग हैमर वन परिक्षेत्राधिकारी प्रेमनगर को जारी किया गया था, किन्तु उक्त हैमर परिक्षेत्र अधिकारी प्रेमनगर द्वारा आज दिनांक तक वनमण्डल कार्यालय में जमा नहीं किया गया है.

क्र. (1)	चालान क्र. /दिनांक (2)	कार्य का नाम (3)	पासिंग हैमर की आकृति (4)
1.	371/20-10-1976	Felling cum passing hammer for C/No. V Mahagai.	↑ 383 N R
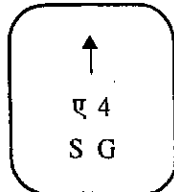
अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा हैमर को वनमण्डल के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है, तथा प्रत्येक हैमर की राशि रु. 50.00 (पचास रुपये मात्र) की वसूली संबंधित से करने का आदेश पारित किया जाता है.
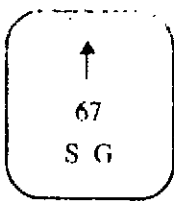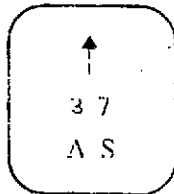
यदि किसी व्यक्ति को उक्त हैमर मिले तो वह कृपया समीपस्थ वन कार्यालय या पुलिस थाना में जमा कराने का कष्ट करें. यदि कोई व्यक्ति उक्त हैमर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखेगा या उपयोग करते पाया जावेगा, तो उस पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा (63) के अनुसार अभियोग चलाया जावेगा एवं दण्ड का भागीदार होगा.

अंबिकापुर, दिनांक 22 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/मा. चि./2006/05.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न विवरण अनुसार पासिंग/मार्किंग हैमर वन परिक्षेत्राधिकारी कुदरगढ़ को जारी किया गया था, किन्तु उक्त हैमर परिक्षेत्र अधिकारी कुदरगढ़ द्वारा आज दिनांक तक वनमण्डल कार्यालय में जमा नहीं किया गया है.

क्र. (1)	चालान क्र. /दिनांक (2)	कार्य का नाम (3)	हैमर की आकृति (4)
1.	409/02-07-1977	Marking Hammer for C/No. X Jelha.	↑ ए 4 S G

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	392/25-01-1977	Felling hammer for C/No. VIII Jelha.	↑ 67 S G
3.	368/20-10-1976	Felling Cum Passing Hammer for C/No. XIII Kanhai.	↑ 377 N [illegible]
4.	379/12-11-1976	Felling Cum Passing Hammer for C/No. VI Bangawan.	398 N R
5.	56/06-10-1980	Marking Cum Felling Hammer for the Encrochement Area R. A. Circle Kharra.	↑ 3 7 A S
6.	63/02-02-1981	Marking Hammer for Drought Effected Trees for R. A. Circle Kharra.	↑ A [illegible]

अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा हैमर को वनमण्डल के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है, तथा प्रत्येक हैमर की राशि रु. 50.00 (पचास रुपये मात्र) के मान से कुल राशि रुपये 300/- (तीन सौ रुपये मात्र) की वसूली संबंधित से करने का आदेश पारित किया जाता है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त हैमर मिले तो वह कृपया समीपस्थ वन कार्यालय या पुलिस थाना में जमा कराने का कष्ट करें. यदि कोई व्यक्ति उक्त हैमर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखेगा या उपयोग करते पाया जावेगा, तो उस पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा (63) के अनुसार अभियोग चलाया जावेगा एवं दण्ड का भागीदार होगा.

अंबिकापुर, दिनांक 22 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/मा. त्रि./2006/06.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न आकृति का फेलिंग कम पासिंग हैमर वन परिक्षेत्राधिकारी सीतापुर को चालान क्रमांक 71 दिनांक 04-02-2003 द्वारा आर. डी. एफ. मैनी कूप नम्बर VI कम्पार्टमेन्ट नम्बर 2390 के लिये जारी किया गया. उक्त हैमर परिक्षेत्र अधिकारी सीतापुर ने श्री लाल मुनि राय वनरक्षक पेटला को आर. डी. एफ. कार्य बाबत दिया गया.

परिक्षेत्र अधिकारी सीतापुर के ज्ञापन क्रमांक 01 दिनांक 03-01-2006 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री लाल मुनि राय, तत्कालीन परिसर रक्षक पेटला द्वारा हैमर वापस करने के लिए दिनांक 18-05-2003 को परिक्षेत्र कार्यालय सीतापुर आते समय रास्ते में कहीं गिर गया उनके द्वारा इसका पता लगाया गया किन्तु हैमर का पता नहीं चला जिसके पश्चात् वनरक्षक द्वारा दिनांक 25-05-2003 को थाना सीतापुर में हैमर गुम होने की सूचना दर्ज की गई.

पासिंग हैमर की आकृति

अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा हैमर क्रमांक 52 JP को वनमण्डल के अभिलेख से अपलेखित किया जाता है, तथा उक्त हैमर की राशि रु. 50.00 (पचास रुपये मात्र) श्री लाल मुनि राय, वनरक्षक परिक्षेत्र सीतापुर से वसूल करने का आदेश दिया जाता है. हैमर जैसी महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण श्री राय को भविष्य के लिये चारित्रिक चेतावनी दी जाती है तथा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभावी से एक साल के लिए रोकी जाती है, तथा इनके गोपनीय प्रतिवेदन में अंकन किया जावें.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त हैमर मिले तो वह कृपया समीपस्थ वन कार्यालय या पुलिस थाना में जमा कराने का कष्ट करें. यदि कोई व्यक्ति उक्त हैमर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखेगा या उपयोग करते पाया जावेगा, तो उस पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा (63) के अनुसार अभियोग चलाया जावेगा एवं दण्ड का भागीदार होगा.

के. के. बिसेन,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 9 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/714.—अध्यक्ष, बजरंग कामगार सहकारी समिति नवाडीह पंजीयन क्रमांक 3933, दिनांक ....को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1309 दिनांक 27-10-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर बजरंग कामगार सहकारी समिति मर्या. नवाडीह को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 9 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/715.—अध्यक्ष, सतनाम ईंट भट्टा सहकारी समिति, टिहलाडीह पंजीयन क्रमांक 3456, दिनांक 9-1-92 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1330 दिनांक 27-10-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर सतनाम ईंट भट्टा सह. समिति टिहलाडीह को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 9 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/716.—अध्यक्ष, जय शंकर कामगार एवं कारीगर सह. स. मर्या. उड़गन पंजीयन क्रमांक 3847, दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1348 दिनांक 27-10-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर जय शंकर कामगार एवं कारीगर सह. समिति उड़गन को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 9 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/717.—अध्यक्ष, खनिज सहकारी समिति मर्या. लावर पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1316 दिनांक 21-10-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर खनिज सहकारी समिति मर्या. लावर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 9 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/718.—अध्यक्ष, खनिज कामगार सहकारी समिति मर्या. देवरी पंजीयन क्रमांक 3034, दिनांक ....को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1300 दिनांक 21-10-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर खनिज कामगार सहकारी समिति मर्या. देवरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 9 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/719.—अध्यक्ष, सतनाम ईंट भट्टा सहकारी मर्या. सुकुलकारी पंजीयन क्रमांक 3824, दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1313 दिनांक 21-10-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर सतनाम ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. सुकुलकारी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/764.—अध्यक्ष, आदर्श कामगार सह. समिति मर्या. तेलसरा पंजीयन क्रमांक 3448, दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1347 दिनांक 27-10-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर आदर्श कामगार सहकारी समिति मर्या. तेलसरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/765.—अध्यक्ष, ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. माडी पंजीयन क्रमांक 3536, दिनांक 22-7-94 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1346 दिनांक 27-10-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग क्रकरते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. माडी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/766.—अध्यक्ष, 36 गढ़ ईंट भट्टा सहकारी समिति लूतरासरीफ, पंजीयन क्रमांक 3447, दिनांक 27-10-05 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1349 दिनांक द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर 36 गढ़ ईंट भट्टा सहकारी समिति, लूतरासरीफ को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2006

क्रमांक/परिसमापन/2006/767.—अध्यक्ष, ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. मगरउछाल, पंजीयन क्रमांक 3712, दिनांक 1-2-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 1351 दिनांक 27-10-05 द्वारा दिया गया था किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अतः संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-99 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं डी. आर. ठाकुर सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर ईंट भट्टा सहकारी समिति मर्या. मगरउछाल को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 29 जुलाई 2006

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2006/993.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1533/बिलासपुर दिनांक 8-12-2005 के तहत आदर्श उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्या. पेंड्रा/गौरेला, पंजीयन क्रमांक 3397, दिनांक 26-7-91 विकासखण्ड गौरेला जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के तहत श्री जी. डी. जयसिंग सहकारिता विस्तार अधिकारी गौरेला को उक्त संस्था का परिसामपक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्थाओं सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था को परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1), (2) एवं म. प्र. सहकारिता विभाग (जिसे छ. ग. शासन द्वारा अंगीकृत किया गया है) के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित हैं का उपयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय (बांडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-7-2006 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.